न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या 155/2018/75 एलआर एक्ट

1. विजयकुमार पुत्र प्रीतमराम जाति वाल्मिकी निवासी भौमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
2. शिशपाल पुत्र प्रीतमराम जाति वाल्मिकी निवासी भौमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।
3. मदन लाल पुत्र प्रीतमराम जाति वाल्मिकी निवासी भौमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–अपीलान्टस

–: बनाम :–

1. मनोजकुमार पुत्र जीतराम जाति वाल्मिकी निवासी भौमपुरा तहसील व जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 14.05.2018 न्यायालय उपखण्डाधिकारी हनुमानगढ़

प्रकरण संख्या 134/2014 अनवानी मनोजकुमार बनाम विजयकुमार आदि

श्री रामकुमार कस्वां अधिवक्ता अपीलाण्टस

श्री दलवीरसिंह सरां अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांक –24.08.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि मे से स्वीकृत करने हेतु अनुतोष चाहा गया। जिस पर अपीलांटस/अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा रिपोर्ट तहसील लेकर अपीलाधीन आदेश के द्वारा रास्ता स्वीकृत कर दिया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय गलत व विधि विरूद्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि चक 18 एजी के खाता सं. 24/24 मे कि.न. 5, 6, 15 मे 1–1 गट्ठा चौडा 3 बीघा लम्बा रास्ता स्वीकृत किया है व रास्ता की भूमि के बदले मे डीएलसी दर से दुगुनी राशि जमा करवाने के आदेश पारित किया है। अपीलांटस लघु काश्तकार है व कि.न. 6 मे अपीलांट शिशपाल का

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

टयूबवैल जो जहां पर रास्ता स्वीकृत किया गया है वहा पर स्थापित है एवं चक 18 एजी के खाता सं. 24/24 मे कि.न. 5, 6, 15 प.न. 187/384 मु.न. 19 व प.न. 188/384 मु.न. 20 व प.न. 188/385 मे भी कि.न. 5, 6, 15 किले है विचारण न्यायालय ने किस प.न. कि. न. 5, 6, 15 मे रास्ता चलेगा कोई स्थिति स्पष्ट नही की है। रेस्पो0 ने जानबूझकर अपीलांटस के टयूबवैल को बंद करवाने के उदेश्य से यहां से रास्ता स्वीकृत करवाया है। मौका पर उक्त रास्ता कभी नही चला। विचारण न्यायालय ने तहसीलदार हनुमानगढ़ से समय समय पर 3 बार मौका रिपोर्ट मंगवाई गई थी तीनो ही रिर्पोटो मे भिन्न तथ्य विचारण न्यायालय के समक्ष आये थे। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.04.18 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था कि रेस्पो0 की भूमि के दक्षिणी तरफ 2 बीघा दूरी पर ही मंजूरशुदा रास्ता चल रहा है वहां से यदि रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो रेस्पो0 व उसके पुत्र अपनी कृषि भूमि आसानी से आवागमन कर सकेगें व उस काश्तकार को अपनी चिपती हुई भूमि मे से भूमि भी दे सकेगें।

4. विचारण न्यायालय ने अपीलांटस के प्रार्थना पत्र पर कोई गौर नही किया तब अपीलांट माननीय जिला कलक्टर हनुमानगढ़ के समक्ष अन्य न्यायालय मे स्थानान्तरित करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। माननीय जिला कलक्टर ने अपीलांट के प्रार्थना पत्र पर बिन्दू वार स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया जो अपीलाधीन निर्णय से पूर्व दिनांक 03.05. 2018 को ही विचारण न्यायालय मे आ गया था विचारण न्यायालय ने जल्दबाजी कर अपीलांटस बिना सुनवाई व साक्ष्य का अवसर दिये एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलांटस व रेस्पो0 की समस्त भूमि अपीलांट व रेस्पो0 के दादा दुलाराम के नाम से थी जो घरूबंटवारा मे विभाजित होकर अपीलांट व रेस्पो0 के अन्य भाईयों के नाम अलग अलग खातो मे दर्ज हुई है। रेस्पो0 के सगे भाई जो रेस्पो0 की भूमि के चिपते है उनसे रास्ता न लेकर अपीलांट को परेशान करने के उदेश्य से रास्ता स्वीकृति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपीलाधीन आदेश पारित करवाया है। अपीलांटस लघु काश्तकार है यदि अपीलाधीन आदेश की पालना मे रास्ता स्वीकृत होता है तो अपीलांटस

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

के हिस्सा की जमीन मे से और जमीन कम हो जायेगी। अपीलांटस के पास कृषि आमदन के अलावा अन्य कोई कमाई का साधन नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय अपास्त किया जावें।

5. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया कि रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए के तहत प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी भूमि मे आवागमन के लिए रास्ता की आवश्यकता प्रकट करते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि मे से स्वीकृत करने हेतु अनुतोष चाहा गया। जिस पर अपीलांटस द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प मे पेश होने पर हल्का पटवारी, गिरदावर के साथ मौतबिरान के समक्ष श्रीमान उपखण्ड अधिकारी स्वयं द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के अनुसार प्रार्थी को अपने खेत मे सुविधाजनक आने जाने के लिए चक 18 एजी प.न. 188/384 कि.न. 5, 6, 15 मे प्रत्येक 0.013 है0 रास्ता स्वीकृत किया जाना उचित मानते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है। अपीलांटस बिना किसी आधार के उक्त अपील प्रस्तुत की गई है जो काबिले खारिज है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय एवं इस न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि रेस्पो0 द्वारा चक 18 एजी प.न. 188/384 कि.न. 5, 6, 15 मे अपीलाधीन आदेश के जरिये रास्ता स्वीकृत करवाते हुए रास्ता भूमि के ऐवज मे डीएलसी रेट की दुगुनी राशि दिये जाने के आदेश पारित किये गये है। जिसमे अपीलांट का तर्क है कि रेस्पो0 को अपनी कृषि भूमि के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता है। अपीलांट लघु काश्तकार है अपीलांट की भूमि रास्ता मे जाने के लिए अपीलांटस के पास भूमि कम हो जायेगी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना पत्रावली उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य की अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश पारित किया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजात के अनुसार पत्रावली मे रास्ता के संबंध मे तहसीलदार से

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई है, उपखण्ड अधिकारी स्वयं द्वारा हल्का पटवारी, गिरदावर के साथ मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण के उपरांत प्रार्थी/रेस्पो0 को अपनी खातेदारी कृषि भूमि मे आवागमन हेतु रास्ता की परम आवश्यकता के बिन्दू को मध्यनजर रखते हुए प्रश्नगत रास्ता स्वीकृत किया गया है। जहां तक अपीलांटस का तर्क है कि रास्ता भूमि के ऐवज मे डीएलसी रेट की दुगुनी राशि भुगतान हेतु आदेश दिया गया जबकि अपीलांटस एक लघु काश्तकार है तथा आमदन का साधन मात्र उक्त भूमि है, तो मुताबिक नक्शा स्वीकृत रास्ता भूमि के ऐवज मे भूमि दिया जाना किसी प्रकार से सम्भव नही होने के कारण रास्ता भूमि के बदले मे डीएलसी दर से दुगुनी राशि हेतु आदेश पारित किया गया है तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251ए के तहत रास्ता भूमि के ऐवज मे भूमि अथवा डीएलसी रेट की दुगुनी राशि दिये जाने के प्रावधान किये गये है जिसमे से जो सम्भव हो सके दिया जा सकता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश मे किसी प्रकार की प्रक्रियात्मक या विधिक त्रुटि प्रकट नही होने से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज की जाकर अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य नही होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.05.2018 को यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित लौटाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 24.08.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official